चेक/लिखतों के संग्रहण पर नीति

मार्च 2024

1. परिचय

बैंक की यह संग्रहण नीति अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने तथा कार्य निष्पादन के उच्चतर मानक स्थापित करने के हमारे सतत प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह नीति ग्राहकों के साथ पारदर्शिता तथा निष्पक्षता का व्यवहार करने के सिद्धांतों पर आधारित है। अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के उपयोग को उत्तरोतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति दस्तावेज़ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करता है :

1.1 भारत स्थित केंद्रों पर तथा विदेश में स्थानीय रूप से देय चेक तथा अन्य लिखतों का संग्रहण।

1.2 लिखतों के संग्रहण हेतु समय मानदंडों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता।

1.3 उन मामलों में ब्याज के भुगतान पर नीति, जिनमें बैंक बाहरी लिखतों की आय की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।

1.4 पारगमन में खो गए संग्रहण लिखतों से निपटने पर हमारी नीति।

इस नीति के अंतर्गत, डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट जैसे प्रीपेड उपकरणों को चेक के समान माना जाएगा।

2. संग्रह की व्यवस्था

2.1 स्थानीय चेक

चेक प्रसंस्करण में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए RBI ने तीन क्षेत्रीय ग्रिडों की संरचना से आगे बढ़कर 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' की ओर क़दम बढ़ाया है। ग्रिड-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) समाशोधन के तहत, ग्रिड क्षेत्राधिकार में आने वाली बैंक शाखाओं पर आहरित सभी चेकों को स्थानीय चेक माना जाता है और उनका समाशोधन किया जाता है।

ग्रिड प्रणाली के तहत देय CTS अनुवर्ती सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित CTS समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएँगे। शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बक्सों में संबंधित कट-ऑफ समय से पूर्व जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे, बशर्ते कि लिखत अन्यथा क्रम में हों। संबंधित कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक अगले समाशोधन में प्रस्तुत किए जाएँगे। नीति के अनुसार, बैंक समाशोधन निपटान वाले दिन ही इसे ग्राहक के खाते में क्रेडिट करेगा।

जिन चेकों को भुगतानकर्ता की सहायता के बिना पुनः प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल अगली प्रस्तुति समाशोधन प्रक्रिया में 24 घंटे (अवकाशों को छोड़कर) से अधिक समय में नहीं बनाया जाना चाहिए, साथ ही ऐसे प्रतिनिधित्व के बारे में SMS अलर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से ग्राहकों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। ट्रंकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भुगतानकर्ता बैंक शाखा तक पहुँचने के दौरान किसी बिंदु पर चेक जारी करने वाले बैंक द्वारा वास्तविक चेक के प्रवाह को रोक दिया जाता है। इसकी जगह क्लियरिंग हाउस के माध्यम से MICR बैंड, प्रस्तुति की तिथि, प्रस्तुतकर्ता बैंक आदि जैसी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि भुगतानकर्ता शाखा को प्रेषित की जाती है। इस प्रकार, समाशोधन उद्देश्यों के लिए असाधारण परिस्थितियों को छोड़ दें तो चेक ट्रंकेशन से बैंक

शाखाओं में वास्तविक परक्राम्य लिखतों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह वास्तविक चेक की आवाजाही पर आने वाली लागत को प्रभावी रूप से समाप्त करता है, उनके संग्रह में लगने वाले आवश्यक समय को कम करता है और चेक प्रसंस्करण की पूरी गतिविधि को सुघड़ बनाता है। जब प्रस्तुति समाशोधन और संबंधित रिटर्न समाशोधन का सत्र सफलतापूर्वक संसाधित हो जाता है तो माना जाता है कि समाशोधन चक्र पूरा हुआ। सीटीएस (CTS) प्रौद्योगिकी का पूरा सार पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए वास्तविक चेक की बजाय चेक की छवियों के उपयोग में निहित है।

इमेजिंग और ट्रंकेशन की शुरुआत के साथ ही परक्राम्य लिखतों की वास्तविक आवाजाही बंद हो गई है। साथ ही, छवियों की इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही समाशोधन चक्र में भी कमी ला सकती है। इसके अलावा, परक्राम्य लिखतों का पारगमन में खो जाने का अब कोई डर नहीं है। इससे आगे बढ़ें तो भूगोल या अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में मौजूदा समाशोधन प्रणाली की सीमाओं को पीछे छोड़ा जा सकता है, जिससे अलग-अलग बैंकों द्वारा अलग-अलग सेवा स्तरों के साथ प्रबंधित अनेकानेक समाशोधन स्थानों को एक समान प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ एक राष्ट्रव्यापी मानक समाशोधन प्रणाली में समेकित और एकीकृत किया जा सकता है।

CTS के तहत, वास्तविक चेक प्रस्तुतकर्ता बैंक में रखे जाते हैं और भुगतान करने वाले बैंकों में नहीं भेजे जाते। यदि कोई ग्राहक चाहे, तो बैंक विधिवत प्रमाणित/प्रमाणीकृत चेक की छवियाँ प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई ग्राहक वास्तविक चेक देखना/प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रस्तुतकर्ता बैंक से मंगाना होगा, जिसके लिए ग्राहक के बैंक से अनुरोध किये जाने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए लागत/प्रभार का एक तत्व भी शामिल हो सकता है। क़ानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चेक को ट्रंकेट करने वाले प्रस्तुतकर्ता बैंक को वास्तविक लिखतों को 10 वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित रखना होगा।

केवल CTS 2010 अनुवर्ती लिखतों को ही CTS के माध्यम से समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

चेक फॉर्म्स पर स्टाम्प लगाते समय बैंक सावधानी बरतेगा, ताकि यह तारीख़, आदाता का नाम, राशि और हस्ताक्षर जैसे भौतिक भागों को बाधित न करे। रबर स्टैम्प आदि का उपयोग इस प्रकार से किया जाय ताकि छवि में इन बुनियादी विशेषताओं की स्पष्ट उपस्थिति प्रभावित न हो।

वैधता की अवधि के लिए तिथि में बदलाव करने के मामले से इतर, आदाता के नाम, सौजन्य राशि (आंकड़ों में राशि) या क़ानूनी राशि (शब्दों में राशि) आदि में किसी भी परिवर्तन के लिए ग्राहकों को नए चेक फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। इससे बैंक को धोखाधड़ी वाले परिवर्तनों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

1 जनवरी, 2019 से ग़ैर-सीटीएस (CTS) समाशोधन पर अलग समाशोधन सत्र को बंद कर दिया गया है। हालाँकि, ग़ैर-सीटीएस (CTS) चेक एक परक्राम्य लिखत के रूप में वैध बने रहेंगे।

2.2 विदेशों में देय चेक

विदेशी केंद्रों पर देय चेक उस देश/केंद्रों में क्रॉस्पांडेंट बैंकों की सेवाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएँगे जहाँ क्रॉस्पांडेंट की मौजूदगी है। वर्तमान में, बैंक विदेशी चेकों की ख़रीद और संग्रह की प्रक्रिया केवल USD में ही करता है।

शाखाओं में एकत्र किए गए सभी विदेशी चेक बैंक के परिचालन विभाग को भेजे जाते हैं और उन्हें केंद्रीय रूप से संसाधित किया जाता है। चेक की छवियाँ विशिष्ट एप्लिकेशन के माध्यम से क्रॉस्पांडेंट बैंक को अंतरित की जाती हैं।

चूँकि बैंक विदेशी बैंकों से समय पर क्रेडिट सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, अतः विदेशी मुद्रा में नामित चेकों के संग्रह में देरी के लिए बैंक ग्राहक को मुआवजा नहीं देगा। बैंक का यह अनुभव रहा है कि विदेशों में बैंकों पर आहरित लिखतों के संग्रह का समय अलग-अलग देशों में और यहाँ तक कि एक देश के भीतर ही, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। अनंतिम रूप से समाशोधित लिखतों की वापसी के लिए समय मानदंड भी देश-दर-देश अलग-अलग होते हैं। हालाँकि, बैंक चेक/लिखत को ख़रीदकर ऐसे लिखत के विरुद्ध अग्रिम क्रेडिट देने पर विचार करेगा, बशर्ते अतीत में खाते का संचालन संतोषजनक रहा हो और चेक वापस होने की स्थिति में बैंक आहर्ता की ऋण योग्यता और राशि चुकाने की ग्राहक की क्षमता को लेकर संतुष्ट हो।

इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक संतोषजनक ढंग से संचालित खाता वह होगा, जो

3. कम-से-कम छह महीने पहले खोला गया हो और KYC मानदंडों का अनुपालन करता हो।
4. जिसका संचालन संतोषजनक रहा हो और बैंक ने उसमें कोई भी अनियमित लेन-देन नहीं देखा हो।
5. जहाँ कोई भी चेक/लिखत, जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया था, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस नहीं लौटा हो
6. जहाँ बैंक को तत्काल क्रेडिट देने के बाद वापस किए गए चेक समेत अतीत में दी गई किसी भी राशि की वसूली में कोई कठिनाई नहीं हुई हो।

हालाँकि, बैंक अपने क्रॉस्पांडेंट के पास बैंक के नोस्ट्रो खाते में आय जमा होने के बाद क्रेडिट देने में अनुचित देरी के लिए ग्राहक को मुआवजा देगा। ऐसा मुआवजा निम्न से अधिक की देरी के लिए दिया जाएगा :

- ख़रीद के प्रापण के मामले में, नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की तारीख़ से पाँच दिन।
- संग्रह के प्रापण के मामले में, नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की तारीख़ से बीस दिन।

जमा की जाने वाली राशि की तिथि से अधिक देरी होने पर ग्राहक को ब्याज दिया जाएगा। 14 दिनों तक की देरी के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज दिया जाएगा और यदि देरी 14 दिनों से अधिक है तो संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा। असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए संबंधित सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

यदि संग्रह के अंतर्गत चेक की आय को ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया जाना था, तो ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा। असाधारण देरी के मामले में, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

यदि बैंक को इस बात का पता चलता है कि क्रेडिट धोखाधड़ी थी तो उसे किसी भी समय (यानी समय सीमा के बिना) ग्राहक के खाते में दिए गए किसी भी क्रेडिट को डेबिट/रिवर्स करने का अधिकार होगा।

इसके लिए शुल्क नीचे दिया गया है:

7	**शुद्ध लिखत**	
क्रम संख्या	**लेन-देन का प्रकार**	**शुल्क**
7.1	**विदेश में संग्रहण हेतु FCY CHQ/DD (USD)**	**0.20% न्यूनतम रु.500/-**
7.2	**खरीद के लिए FCY CHQ/DD (USD)**	**1) सभी प्रत्यक्ष आहरित लिखतों पर समय-समय पर निर्धारित दरों पर 15 दिन का ब्याज।** **2) सभी अप्रत्यक्ष आहरित विदेशी मुद्रा लिखतों पर 20 दिन का**
7.3	**FCY चेक वापसी/अनादर**	**वापस किए गए प्रत्येक लिखत पर 1000 रुपये के अलावा, यदि कोई हो, तो संबंधित नोस्ट्रो बैंकों को भुगतान किए गए वास्तविक वापसी शुल्क**
7.4	**नोस्ट्रो बैंक का प्रति उपकरण शुल्क**	**USD के लिए रु.500/-**
Note: वर्तमान में CHQ/DD को केवल FCY USD में हैंडल किया जा रहा है		

3. चेकों के विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान:

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के हिस्से के रूप में, यदि ऋण देने में ऊपर उल्लिखित समय अवधि से अधिक देरी होती है तो बैंक अपने ग्राहक को संग्रहण लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना ऐसे ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में किया जाएगा। विलंबित संग्रहण पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं पर या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

a) 14 दिनों तक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर

b) यदि देरी 14 दिनों से अधिक है तो संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज दिया

जाएगा।

c) असाधारण देरी के मामले में, यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए संबंधित सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

d) यदि संग्रह के अंतर्गत चेक की आय को ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया जाना था, तो ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा। असाधारण देरी के मामले में, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

उपरोक्त अनुसार ब्याज का भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रहण के लिए भेजे गए लिखतों के लिए लागू होगा।

4. पारगमन/समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में खो गए चेक/लिखत :

यदि संग्रह के लिए स्वीकार किया गया चेक या लिखत पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक को नुक़सान का पता चलते ही ग्राहक को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि ग्राहक आहर्ता को भुगतान रोकने के लिए सूचित कर सके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि यदि कोई हों तो उसके द्वारा जारी किए गए चेक खोए हुए चेक/लिखतों की राशि जमा न होने की वजह से अनादरित न हों। ग्राहक को चेक जारीकर्ता से डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने में बैंक सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

ऐसे नुक़सान की ज़िम्मेदारी संग्रहकर्ता बैंकर की होती है, खाताधारक की नहीं।

बैंक डुप्लिकेट लिखतों को प्राप्त करने के लिए खाताधारक को संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा और साथ ही उन्हें प्राप्त करने में हुई तर्कसंगत देरी के लिए ब्याज भी देगा।

यदि चेक/लिखत भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो गया है, तो संग्रहकर्ता बैंकर को भुगतानकर्ता बैंकर से चेक/लिखत के नुक़सान के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गई राशि को वसूलने का अधिकार होना चाहिए।

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुरूप, बैंक पारगमन में खो गए लिखतों के मामले में ग्राहक को निम्नलिखित तरीक़े से क्षतिपूर्ति करेगा :

i. यदि ग्राहक को लिखत के नुक़सान के बारे में संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद सूचित किया जाता है, तो निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक अवधि के लिए ब्याज का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।

ii. इसके अलावा, डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में होने वाली संभावित देरी के लिए बैंक चेक की राशि पर बचत बैंक दर पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

iii. यदि लिखत को किसी ऐसे बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लिकेट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए शुल्क लेगा तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक को किसी भी उचित शुल्क के लिए क्षतिपूर्ति भी करेगा, जो उसे रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लिकेट चेक/लिखत खो जाने पर देना पड़ता है।

5. अप्रत्याशित घटना

यदि कोई अप्रत्याशित घटना (नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रमिक अशांति, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य "ईश्वरीय कृत्य", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके क्रॉस्पांडेंट बैंक(कों) को नुक़सान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन आदि की अनुपस्थिति समेत, पर इन तक ही सीमित नहीं) जो बैंक के नियंत्रण से परे है, और जो उसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को विलंबित क्रेडिट के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. अस्वीकृत चेकों से निपटने की प्रक्रिया

(a) **आधार शाखा में प्रस्तुत किए गए चेकों के लिए :**

ग्राहक को यथाशीघ्र चेक लौटा दिया जाएगा। यदि वह ऐसा ग्राहक है जो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नियमित रूप से शाखा में आता है, तो चेक उसे/उसके प्रतिनिधि को यदि उसी दिन नहीं हो सका तो काउंटर पर अगले दिन ही वितरित कर दिया जाएगा।

अन्य मामलों में, ग्राहक की लागत पर चेक को पंजीकृत डाक के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजा जाएगा।

(b) **गैर-आधार शाखा में प्रस्तुत किए गए चेक के लिए:**

चेक को आधार शाखा के माध्यम से ग्राहक को वापस किया जाएगा। इसके बाद, ग़ैर-आधार शाखा चेक को आधार शाखा में भेजेगी। आधार शाखा में चेक प्राप्त होने पर, वह आधार शाखा ऊपर (ए) में निर्दिष्ट किये गए अनुसार ग्राहक को चेक वितरित करेगी। इस मामले में, ग़ैर-आधार शाखा द्वारा आधार शाखा को चेक भेजने के लिए किए गए अतिरिक्त वास्तविक डाक शुल्क भी आधार शाखा द्वारा वसूल किए जाएँगे।

(c) **अनादरित चेकों की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया :**

क्लियर इन हाउस के माध्यम से प्रस्तुत अनादरित चेकों को भुगतानकर्ता शाखा को सख़्ती से बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के एकसमान विनियमों और नियमों के अनुसार संबंधित क्लियरिंग हाउस के लिए निर्धारित रिटर्न अनुशासन के अनुसार वापस करना चाहिए। चेकों के अनादर/वापसी के मामले में, रिटर्न मेमो/आपत्ति पर्ची पर रिटर्न कारण कोड को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए, जिस पर बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर/इनीशियल भी होने चाहिए, जैसा कि बैंकर्स क्लियरिंग हाउसेज के लिए

एकसमान विनियमों और नियमों (URRBCH) के नियम 6 में निर्धारित है।
सभी खातों के संबंध में, निधियों की कमी के कारण अनादरित किये गए चेकों को ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए, जिसमें अनादर का कारण “अपर्याप्त निधि” दर्शाया गया हो।
यदि किसी वित्तीय वर्ष में चार चेक निधियों की कमी के कारण वापस किए जाते हैं, तो बैंक को इसकी स्वतंत्रता है कि वह खाते में आगे चेक बुक जारी करना रोक दे।
साथ ही, यदि किसी वित्तीय वर्ष में निधियों की कमी के कारण चार बार चेक वापस किया जाता है, तो बैंक अपने विवेक से ग्राहक को 30 दिनों का नोटिस देने के बाद खाता बंद करने का क़दम उठा सकता है।

7. सेवा शुल्क

सभी संग्रह सेवाओं के लिए बैंक, बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए और ग्राहक को सूचित किए गए उचित सेवा शुल्क की वसूली करेगा, जिसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहाँ ग़लती ग्राहक की है और ऐसे रिटर्न के लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार है। रिटर्न की उदाहरणात्मक सूची, हालाँकि यह संपूर्ण नहीं है, जहाँ ग्राहक की ग़लती नहीं है, अनुलग्नक में इंगित की गई है।

कोड संख्या	रिटर्न का कारण
33	विकृत लिखत; बैंक की गारंटी की आवश्यकता है
35	क्लियरिंग हाउस की मुहर/तारीख़ की आवश्यकता है
36	ग़लत तरीक़े से वितरित/दायित्व नहीं लिया गया
37	उचित क्षेत्र में प्रस्तुत करें
38	इंस्ट्रूमेंट में असंगत सामग्री है
39	छवि स्पष्ट नहीं है; कागज़ के साथ फिर से प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	इसे दो बार सूचीबद्ध किया गया है
42	कागज़ प्राप्त नहीं हुआ है
60	दो बैंकों को क्रॉस किया गया है
61	क्रॉसिंग स्टैंप रद्द नहीं किया गया है
62	क्लियरिंग स्टैंप रद्द नहीं किया गया है
63	इंस्ट्रूमेंट विशेष रूप से दूसरे बैंक को क्रॉस किया गया है
67	भुगतानकर्ता का पृष्ठांकन अनियमित है/संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि की आवश्यकता है
68	चिह्न/अंगूठे के निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर के साथ सत्यापन की आवश्यकता है
70	परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है
71	परामर्श पर राशि/नाम भिन्न है
72	प्रायोजक बैंक के पास आदेशिती बैंक का कोष अपर्याप्त है (उप-सदस्यों पर लागू)
73	बैंक को आदाता का अलग से उन्मोचन आवश्यक है
74	प्रथम प्रॉक्सिमो तक भुगतान योग्य नहीं
75	भुगतान आदेश के लिए काउंटर हस्ताक्षर की आवश्यकता है
76	आवश्यक जानकारी पठनीय/सही नहीं है

80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक है
81	ड्राफ्ट जारी करने वाले कार्यालय द्वारा खो दिया गया है; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है
82	बैंक/शाखा अवरुद्ध है
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफलता
84	अन्य कारण-कनेक्टिविटी विफलता
87	भुगतानकर्ता के खाते में जमा'-स्टाम्प आवश्यक है
92	बैंक बहिष्कृत

8. चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली

सकारात्मक भुगतान के मामले में बड़े मूल्य के चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, चेक जारी करने वाला SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM आदि जैसे चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तारीख़, लाभार्थी/आदाता का नाम, राशि, आदि) आहर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है, जिसके विवरण को CTS द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। CTS द्वारा किसी भी विसंगति को आहर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जो इसके निवारण का उपाय करेंगे।

केवल ऐसे चेकों को CTS ग्रिड पर विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किया जाएगा जो उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप हैं।

भले ही इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर है, लेकिन नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से 5,00,000 रुपये और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में यह अनिवार्य है।

सकारात्मक भुगतान प्रणाली आवक समाशोधन परक्राम्य लिखतों के लिए लागू है, यानी हमारे उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने चेक जारी किए हैं।

बैंक द्वारा ग्राहकों को अनेक डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपरोक्त कार्यक्षमता उपलब्ध कराई गई है।

9. खाता आदाता चेकों का संग्रहण

बैंक भुगतानकर्ता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खाता आदाता चेक एकत्र नहीं करेगा।

विकल्प के आधार पर, बैंक अपने ग्राहकों के खाते में पचास हजार रुपये से अधिक की राशि के लिए आहरित खाता आदाता चेक एकत्र कर सकते हैं, जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं, बशर्ते कि ऐसे चेक के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों।

बैंक ऐसी सहकारी ऋण समितियों के संबंध में सम्यक उद्यम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के KYC दस्तावेज़ समिति द्वारा संरक्षित हैं और जाँच हेतु बैंक को उपलब्ध हैं।